दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

डिक्री

दिनांक :– 19/12/25

वादी की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 23 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह बडगुजर अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे:——

(क). वादी नरेन्द्र सिंह को प्राप्त कृषि भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प. न. 9/240 (27) के किला न.6, 7, 8/0.181 (पूर्वी तरफ) की कुल 0.687 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख). प्रतिवादी स. 2 सुरेन्द्र सिंह को प्राप्त कृषि भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प.न.9/240 (27) के किला न. 8/0.072 (पश्चिमी तरफ), 9, 12/0.235(उतरी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: SelfAttested

तरफ), 13/0.053 (पश्चिमी तरफ) की कुल 0.613 है. नहरी व तहसील सादुलशहर के चक 22 के एस डी ,खाता स.13 के प.न.79/113 (64) के किला न. 16/0.073 (दक्षिणी तरफ) की कुल 0.073 हैक. नहरी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग). प्रतिवादी स. 3 ओम प्रकाश को प्राप्त कृषि भूमि –तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प.न.9/240 (27) के किला न. 16, 17, 18/0.181 (पूर्वी तरफ) की कुल 0.687 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(घ). प्रतिवादी स. 7 सुरजीत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प.न.9/240 (27) के किला न. 23/0.181 (पुर्वी तरफ), 24, 25 की कुल 0.687 हैक नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ङ). प्रतिवादीया स. 8 प्रेमलता को प्राप्त कृषि भूमि–तहसील सादुलशहर के चक 22 के एस डी खाता स.13 के प.न.79/113 (64) के किला न. 6, 15, 16/0.180 (उतरी तरफ) की कुल 0.686 हैक नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(च). प्रतिवादीया स.12 विनोद देवी को प्राप्त कृषि भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प.न.9/240 (27) के किला न. 12/0.018(दक्षिणी तरफ), 13/0.019 (दक्षिणी तरफ), 18/0.072 (पश्चिमी तरफ), 19, 22, 23/0.072 (पश्चिमी तरफ) की कुल 0.687 हैक नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(छ). प्रतिवादीया स.17 संतोष राठौड़ को प्राप्त कृषि भूमि–तहसील पीलीबंगा के चक 28 जेआरके के प.न.9/240 (27) के किला न. 13/0.181(पुर्वी तरफ), 14, 15 की कुल 0.687 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा/ सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 19/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.02 14:45:53 IST
Reason: SelfAttested